न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 126/2021 तारीख रजू 15.03.2021

बद्री पुत्र चिरंजी जाति नाथ निवासी नायपुर तह.खण्डार। –– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार। –– रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 27.08.2021**

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 73/2021 मे पारित आदेश 15.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम नायपुर के आराजी खसरा नम्बर 902/199 रकबा 1.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन चरागाह पर संवत 2077 मे अनाधिकृत रूप से अमरूद के पौदा व जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 902/199 रकबा 1.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन चरागाह पर जिन्स अमरूद सम्वत 2077 में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया जिसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी हासिल नहीं की गई ना ही मौका देखा गया है हल्का पटवारी की झूंठी शिकायत को सत्य मानकर गलत निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अपीलान्ट ने हल्का पटवारी को मौके पर ले जाकर अपना कब्जा नहीं होने बाबत भी कहा गया था लेकिन हल्का पटवारी ने तहसीलदार को रिपार्ट कर गलत ढंग से नोटिस जारी कराये गये जबकि ग्राम पंचायात व गांव के किसी व्यक्ति ने आज तक अतिक्रमण होने या नहीं की शिकायत भी नहीं की गई है ना ही अपीलान्ट अतिक्रमण करने हेतु प्रयासरत है ना अतिक्रमण करता है जो अधिनस्थ न्यायालय का फैसला निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को निर्णय पारित करने से पूर्व अपना पक्ष रखने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:09:59 IST
Reason: SelfAttested

का व पूर्ण सुनवायी का अधिकार नहीं देने तथा मौके की भौतिक सत्यापन नहीं करने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पेराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट व अपीलान्ट के परिवार को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि गैर मुमकिन चरागाह पर अमरूद के पौधे लगाकर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। यदि अपीलान्ट की सजा को माफ किया जाता है तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा साथ ही अपीलान्ट को भी बल मिलेगा। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्ट की पत्नी को नोटिस की तामील करवायी गयी। बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी हल्का के बयान दर्ज है तथा अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन चरागाह भूमि पर अमरूद के पौधे लगाकर अतिक्रमण किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके से बेदखल भी किया गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा मौके पर से अपना कब्जा नहीं हटाया गया है। अतः मै पेराकार सरकार द्वारा बहस में दिये गये तर्को से सहमत हूँ अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट अस्वीकार योग्य पायी जाती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:09:59 IST
Reason: SelfAttested